मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को अजमेर मैडिकल कॉलेज सभागार में भाजपा के सामाजिक संवाद कार्यक्रम में शामिल हुये। वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि, पशुधन हमारे देश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा गुर्जर समाज खेती एवं पशुधन के जरिये देश के लिए अन्न एवं दूध की पूर्ति करता है।

'देश की अर्थव्यवस्था में गुर्जरों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है'

मु.मंत्री भजनलाल ने यह भी कहा कि, गुर्जर खेती करके अन्न की पूर्ति करते हैं तो पशुधन से दूध की आपूर्ति भी करते हैं

अजमेर, 22 अप्रेल (कासं)। भारतीय जनता पार्टी संस्कृति विचारों और सिद्धान्तों पर चलती है। देश में समानता का व्यवहार ही हमारी पहचान है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, इसी आधार पर हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कई कल्याणकारी योजनाएं बनाईं जो आज धरातल पर हैं, देश का हर नागरिक सुखी है।

मेडिकल कॉलेज के डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में आयोजित सामाजिक संवाद कार्यक्रम में सोमवार को जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, पशुधन हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण सहभागिता निभाता है। गुर्जर समाज पशुधन के जरिए तथा खेती करके अन्न की पूर्ति करता है और धरती मां की सेवा करता है।

मु.मंत्री ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में रहे या राज्य में हमेशा गुर्जर समाज को सम्मान देने का काम किया है। कांग्रेस ने झूठी घोषणाएं की हैं परन्तु कभी भी किसी को पूरा नहीं किया है। किसान निधि देकर किसानों का सम्मान, बुजुर्गों के लिए समाजिक सुरक्षा पेंशन, गैस सिलेण्डर, पानी और सड़क की समस्या भगवान देवनारायण योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये सभी भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। प्रधानमंत्री ने देश के विकास में कोई कमी नहीं रखी है। मुख्यमंत्री सुरक्षा और जनता का ध्यान रखा और संसार में देश का गौरव बढ़ाया है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते ही हर विधायक को 9 करोड़ रुपए दिए ताकि विधायक अपने क्षेत्र में सड़क, अस्पताल, विद्यालय सही करवा सकें। हमारी सरकार बनते ही किसान सम्मान निधि 8000 रुपए कर दी गई, समाजिक सुरक्षा पेंशन 150 रुपए बढ़ा दी गई। जहां अन्नपूर्णा योजना में आम आदमी को 400 ग्राम राशन मिलता था उसे बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया, पेट्रोल-डीजल के दाम घटाए गए और भविष्य में भी भाजपा सरकार जन कल्याण का कार्य करेगी।

कांग्रेस पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, राजस्थान और मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार ने ई.आर.सी.पी. योजना के आपसी विवाद कोर्ट में पहँचा दिए परन्तु राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही प्रधानमंत्री के सानिध्य में समझौता हुआ, जिससे राजस्थान के कई जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी अतिशीघ्र मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, आगामी 26 तारीख को लोकतंत्र का महापर्व है, आप भाजपा के उम्मीदवार भागीरथ चौधरी का समर्थन करें। आप सभी गांव, शहर गली, मौहल्ले अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार, मित्रों से बातचीत कर भाजपा के पक्ष में मतदान कराएं। इस दौरान मंच पर गृहराज्यमंत्री जवाहर सिंह बैडम, विधायक अनिता भदेल, जिलाध्यक्ष रमेश सोनी, अध्यक्ष देवनारायण बोर्ड, ओमप्रकाश भड़ाना, महापौर बृजलता हाड़ा, सह संयोजक अजमेर लोकसभा धर्मेन्द्र गहलोत, उप महापौर नीरज जैन, जिला महामंत्री संपत्त सांखला, धर्मेश जैन उपस्थित थे।

- **मुख्यमंत्री ने अजमेर मैडिकल कॉलेज के डॉ. भीमराव अम्बेडकर सभागार में सामाजिक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि, राजस्थान में भाजपा सरकार ने सभी विधायकों को 9-9 करोड़ रूपए दिए हैं ताकि वे अपने क्षेत्र में सड़क, अस्पताल व स्कूल की मरम्मत करा सकें।**

प्रधानमंत्री के खिलाफ 17 शिकायतें लेकर चुनाव आयोग पहुँची कांग्रेस

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री मोदी के कथित नफरती भाषण पर विशेष रूप से कार्रवाई करने का अनुरोध किया

नई दिल्ली 22 अप्रैल (वार्ता) कांग्रेस ने सोमवार को निर्वाचन आयोग से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की शिकायत की और एक विशेष समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और 17 शिकायतों का एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में गुरदीप सिंह सप्पल और सुप्रिया श्रीनेत शामिल थे।

मुलाकात के बाद सिंघवी ने संवाददाताओं से कहा कि, निर्वाचन आयोग को 17 शिकायतों का एक ज्ञापन सौंपा गया और इनपर उचित कार्रवाई की मांग की गयी। उन्होंने बताया कि, प्रतिनिधिमंडल ने पांच-छह शिकायतों पर विशेष रुप से विस्तृत चर्चा की।

कांग्रेस नेता ने बताया कि, निर्वाचन आयोग के समक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) पुत्री श्रीमती अंजली बिरला का भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार करने, सूरत लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने और मणिपुर में लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान हिंसा का मामला भी उठाया गया।

उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार के मुख्य कार्यकारी एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। उनका बयान गंभीर और आपत्तिजनक है और इसे वापस लिया जाना चाहिए और इस पर स्पष्टीकरण जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि, निर्वाचन आयोग से इस बयान पर कानूनी रूप से कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा कि, देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जिस तरह एक समुदाय के लिए भद्दा वक्तव्य दिया, वे आचार संहिता का उल्लंघन है।

चुनाव आयोग को इसपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस बयान से देश के संविधान, प्रधानमंत्री पद, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है।

उन्होंने कहा कि, भाजपा सरकार ने गुजरात समेत कई राज्यों में तस्वीरें लगाई हैं, जो सिर्फ धर्म पर आधारित हैं।

कांग्रेस नेता ने बताया कि, पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कर्नाटक के उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें चुनाव नहीं हुआ है। इसके लिए आयोग से अनुमति मांगी गयी है।

उन्होंने कहा कि, सूरत लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के एक दिन पहले कांग्रेस के एक साथ चार प्रस्तावक कहते हैं कि, हस्ताक्षर हमारे नहीं हैं और लापता हो जाते हैं। सीट सभी प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। ऐसे में सूरत सीट का चुनाव स्थगित किया जाना चाहिए।

- **कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के समक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की आई.ए.एस. पुत्री अंजली बिड़ला का भाजपा की ओर से चुनाव प्रचार करने, सूरत लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने और मणिपुर में लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान हिंसा का मामला भी उठाया है।**

कलकत्ता हाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जो इन नियुक्तियों का विरोध कर रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। फैसले ने यह साबित कर दिया है कि तृणमूल के नेता और उनकी राजनीतिक बुनियाद कितनी भ्रष्ट रहती आयी है। तृणमूल कांग्रेस ने इस फैसले को रूकवाने और रद्द करवाने के लिए प्रत्येक पैतरा अपनाया था। उसने सरकार के कोष की कीमत पर अभिषेक मनु सिंघवी जैसे हाई प्रोफाइल एडवोकेट को अपना वकील बनाया था। विपक्ष की सभी पार्टियों ने इन आदेशों को रद्द करवाने के सरकार के प्रयासों की कड़ी निंदा की है।

विदेशी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

था, और इसके साथ ही नवम्बर 2023 के दौरान मध्य प्रदेश व राजस्थान प्रदेश के चुनावों के दौरान भी आया था, जो सफल रहा था। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के 43 वें स्थापना दिवस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा द्वारा "भाजपा को जाने" के बारे में शुरु की गई एक पहल का हिस्सा है। भाजपा के विदेश मामलों के प्रभारी डॉ. विजय चौथाईवाले के अनुसार भाजपा की योजना है कि आगे आने वाले आम चुनावों के अगले चरण में भी ऐसे प्रतिनिधिमंडलों को चुनावों का अनुभव कराएगी।

राज्य सरकार ने पी.एम. केयर्स फंड संबंधी केस वापस लिया

जयपुर, 22 अप्रेल (का.सं.)। प्रदेश की राज्य सरकार ने, केन्द्र सरकार के खिलाफ कोविड-19 के दौरान पी.एम. केयर्स फंड से जुड़ा केस सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। राज्य के एटॉर्नी जनरल, शिवमंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि, उन्होंने राज्य सरकार को राय दी थी कि, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई के लिए चलने योग्य नहीं है। इसलिए राज्य सरकार से विचार-विमर्श के बाद अब सरकार इस केस को वापस लेना चाहती है। इसलिए अदालत केस को वापस लेने की अनुमति दे। जिस पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को केन्द्र सरकार के खिलाफ 2020 में दायर इस केस को वापस लेने की मंजूरी देते हुए राज्य सरकार की याचिका को निस्तारित कर दिया। पी.एम. केयर्स फंड से जुड़े इस केस को वापस लेने के साथ ही केन्द्र व राज्य सरकार के बीच विभिन्न राहत कोषों के प्रबंधन व सी.एस.आर. की पात्रता को लेकर चल रहा विवाद भी खत्म हो गया है। दरअसल तत्कालीन राज्य सरकार ने याचिका में 28 मार्च 2020 को जारी किए गए उस आदेश व कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के उस स्पष्टीकरण को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि, पी.एम. केयर्स फंड में दिए गए योगदान को कंपनी एक्ट 2013 के तहत सी.एस.आर. व्यय के तौर पर माना जाएगा। इसके अलावा सी.एम. राहत कोष या किसी अन्य राहत कोष में दिए गए योगदान को कोविड-19 के तहत सी.एस.आर. के व्यय के तौर पर नहीं माना जाएगा।

- **राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने कहा कि, केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के योग्य नहीं है।**

'प्रधानमंत्री मोदी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

"घृणा फैलाने वाली" बताया। खड़गे ने कहा कि, " यह उनकी सोची समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा है, ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके और प्रथम चरण के मतदान के बाद यह उनकी कुंठा व हताशा का परिणाम है।" ए.आई.एम.आई.एम. के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी एतराज जताते हुए कहा कि "सन् 2002 से मोदी की गारंटी सिर्फ यह रही है कि, मुस्लिमों को अपशब्द कहो और वोट प्राप्त करो।" शिवसेना (यु.बी.टी.) की प्रियंका चतुर्वेदी ने मोदी के भाषण को "भयंकर रूप से गुमराह करने वाला" बताया और कहा कि यह घृणास्पद व विभाजनकारी है। प्रधान मंत्री ने आज उस पंक्ति को पुन: अलीगढ़ की सभा में दोहराया और वहाँ उन्होंने कहा कि, कांग्रेस का इरादा "हमारी माताओं व बहिनों के मंगलसूत्र व सम्पत्तियों को हड़पने का है।"

भाजपा ने प्रधानमंत्री की टिप्पणियों का बचाव किया और कहा कि, मुसलमानों के खिलाफ उनकी टिप्पणियां "जनता की भावना व्यक्त करती हैं।"

चुनाव आयोग ने इस मामले में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जब चुनाव आयोग ने पूर्व में कार्यवाही की है। 1980 के दशक का ऐसा उदाहरण मिलता है।

आंध्र प्रदेश में...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संयोगवश, कोनसीमा जिला जो आज करता है, वहीं आंध्र प्रदेश कल करता है और यहां की बानगी से पता चलता है कि अधिकांश आंध्र क्या सोचता है। मुख्यमंत्री अब भी वादा कर रहे हैं, कि समाज के विभिन्न वर्गों के लिए उन्होंने जो बेजोड़ कल्याणकारी योजनाएं शुरू की थीं, उन्हें वह जारी रखेंगे। वह जब भी वोट मांगने जाते हैं, तब अपनी योजनाओं के वादे के बारे में वोटर्स का स्थान जरूर आकर्षित करते हैं।

दूसरी ओर चन्द्रबाबू नायडू राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और भ्रष्टाचार का दाग अलापते हैं क्योंकि उनका मुख्य चुनावी एजेण्डा राज्य सरकार के घोटालों का जिक्र कर मुख्यमंत्री जगन मोहन को हटाने की वोटर्स की मांग करता है। नायडू ने कहा कि मुख्यमंत्री जगन कथित रूप से मर्डर पॉलीटिक्स में भी संलिप्त है। वह वादा करते हैं कि यदि वह सत्ता में आए तो वह मुख्यमंत्री के काले कारनामों की जांच करवाएंगे।

लेकिन आम आदमी इस बात को लेकर कुछ हद तक आश्वस्त है कि चुनावी पंडित चाहे कुछ भी कहें, अन्तत: विजय जगन मोहन रेड्डी की ही होगी, भले ही जीत का अंतर मामूली ही क्यों ना रहे। आंध्र में दोनों क्षेत्रीय पार्टियों की सत्ता प्राप्ति की ललक है, लेकिन जब 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित होंगे तब राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के गठन में दोनों ही भाजपा का समर्थन कर रही होंगी। भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आंध्र प्रदेश में कौनसी पार्टी जीतती है। चाहे वह विधानसभा के स्थानीय चुनाव हों या लोकसभा के। भाजपा आंध्र प्रदेश में टी.डी.पी. और पवन कल्याण की जनसेना के साथ चुनावी गठबंधन में है।

स्थानीय मीडिया द्वारा किए गए नवीनतम ओपीनियन पोल्स के अनुसार जगनमोहन विधानसभा की कुल 175 में 110 से 120 और लोकसभा की 15 सीटें जीत रहे हैं।

केजरीवाल की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दिल्ली हाई कोर्ट ने 75 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने उक्त याचिका को खारिज करते हुए कहा कि, "कानून सभी के लिए एक समान है।"

कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने "वी द पीपल ऑफ इण्डिया" नामक याचिकाकर्ता द्वारा दायर असाधारण जमानत याचिका को निरस्त करते हुए टिप्पणी की कि उक्त जनहित याचिका बिना किसी आधार के दायर की गई है।

बैंच ने कहा कि, याचिकाकर्ता ने ऐसी याचिका दायर करने के लिए केजरीवाल से किसी तरह का अनुमोदन नहीं लिया है और ना ही उसने ऐसे बयान लिए हैं जैसे कि "दिल्ली का मुख्यमंत्री गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा।

केजरीवाल के वकील राहुल मेहरा ने भी इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिका लोकप्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए दायर की गई है। बैंच ने टिप्पणी की कि "उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के विरूद्ध किसी लम्बित आपराधिक केस में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दी सकती।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 वर्षीया दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की इजाजत दी

पीड़िता 7 माह की गर्भवती है, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया

नई दिल्ली, 22अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने असाधारण परिस्थितियों और संबंधित मेडिकल रिपोर्ट के मद्देनजर एक 14 वर्षीया दुष्कर्म पीड़िता को उसके 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की सोमवार को अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने पीड़िता की ओर से उसकी मां द्वारा दायर याचिका पर विचार के बाद संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश पारित किया।

शीर्ष अदालत ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के चार अप्रैल 24 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें चिकित्सीय माध्यम से गर्भपात कराने की पीड़िता की याचिका खारिज कर दी गई थी।पीठ ने अपने फैसला सुनाते हुए कहा, "मेडिकल बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि, गर्भावस्था से उस नाबालिग के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।"

बैंच ने अपना आदेश जारी करने के लिए 19 अप्रैल को इस अदालत के निर्देश पर मुंबई के सायन अस्पताल द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर भरोसा किया।

शीर्ष अदालत ने सायन अस्पताल को निर्देश दिया कि, वे नाबालिग के गर्भपात कराने के लिए चिकित्सकों की एक टीम गठित करे।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि, मामले में प्राथमिकी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत निर्धारित 24 सप्ताह की अवधि के बाद दर्ज की गई थी। उस नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था और इसके बाद वे गर्भवती हो गई।इस संबंध में 20 मार्च 24 को नवी मुंबई में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।

- **बैंच ने अपने फैसला सुनाते हुए कहा, "मेडिकल बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि, गर्भावस्था से उस नाबालिग के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।"**

2024 के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विजयी घोषित कर दिया। सोमवार का दिन नाम वापसी के लिए आखिरी दिन था। खुम्मानी के वैकल्पिक कांग्रेसी उम्मीदवार सुरेश पडसाला का भी नामांकन खारिज हो गया।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908